संख्या– 2195 / III(2)/13–47(प्रा0आ0)/20

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 22 मार्च, 2013

विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–13 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0/कु0क्षे0, लोक निर्माण विभाग पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विभिन्न कार्यो के प्रथम चरण के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 81.975 किमी0 + 04 सेतु सहित पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 807.01 लाख (₹ आठ करोड़ सात लाख एक हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 16 कार्यो हेतु कुल धनराशि ₹ 1.60 लाख (₹ एक लाख साठ हजार मात्र) की अनुमति, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध मे यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण –00–24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित निर्वतन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि
..., उत्तरकाशी

(ix)– स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)– वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2013 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii)– उक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 1.60 लाख का बजट आबंटन, वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22, के अन्तर्गत अलॉटमेन्ट आई0डी0 सं0:– S1303220523 दिनांक 22–03–2013 के द्वारा आपको आबंटित कोड सं0– 4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

(3) **यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–1111(I)/XXVII/(2)/2012 दि0: 22 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव

संख्याः– 2195 (1)/III(2)/13–47(प्रा0आ0)/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, ग0क्षे0/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
9. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

Photo Copy attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो.नि.वि
बड़कोट, उत्तरकाशी

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

शासनादेश संख्याः– 2/95 (1)/।।।(2)/13–47(प्रा0आ0)/2012 दिनांक 22 मार्च, 2013 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई किमी0 में	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत लाख में	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र–अल्मोड़ा के अन्तर्गत सरस्वती मंदिर ढूंगाधार मोटर मार्ग का दरबारी नगर तक विस्तार।	1.00	12.60	0.10
2	जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र कालाढुंगी में रानीबाग ब्रवरी मोटर मार्ग के ग्राम दोगड़ा से प्राईमरी पाठशाला जली तक अवशेष मोटर मार्ग ल0 2.0 किमी0 व नलैना गधेर पर 60.00 मी0 स्पान के स्टील गर्डर पुल का निर्माण कार्य।	2.00 + 60mt	29.36	0.10
3	जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र कालाढुंगी में आमपड़ाव से चौपड़ा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	3.00	37.80	0.10
4	जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र कालाढुंगी में देचोरी–देगांव व मूसाबांगर के मध्य से बौर नदी पर 50 मी0 स्पान झूला पुल का निर्माण।	50 mt	2.08	0.10
5	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र–यमुनोत्री में [illegible] घाण्डाला तक मोटर [illegible] का निर्माण कार्य।	1.00	50.32	0.10
6	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र–यमुनोत्री में मसालगांव से गंगटाडी लिंक मोटर मार्ग का सेतु सहित निर्माण।	3.00 + 72 mt	43.50	0.10
7	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में बड़कोट तिलाड़ी हल्का मोटर वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करना एवं डामरीकरण का कार्य।	1.975	6.81	0.10
8	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र–यमुनोत्री में हनुमानचट्टी से पिडकी मदेष मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	62.90	0.10
9	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र–यमुनोत्री में एच0आर0टी0 से जसपुर मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5.00	63.00	0.10
10	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र–यमुनोत्री में सिलक्यारा–बनगांव–चापड़ा– सरोट मोटर मार्ग के किमी0 11 से गवनाग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.00	25.20	0.10
11	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र–यमुनोत्री में जैमर से लुदारका–मैनोल मोटर मार्ग का नव निर्माण।	7.00	88.20	0.10

Photocopy attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो.नि.वि
बड़कोट, उत्तरकाशी

शासनादेश संख्या- 295 (1)/III(2)/13-47(प्रा0आ0)/2012 दिनांक 22 मार्च, 2013 का संल

12	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-यमुनोत्री में जसपुर बैण्ड से नांडियासारी-मसोन मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3.00	37.80	0.10
13	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र- यमुनोत्री के विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ में बड़ेथी- वनचौरा -बद्रीगाड राज्य मार्ग के श्रीकोट से ग्राम कुठाल्डी, विलोग से लोहरी-सिनाल गांव होते हुए धरासू यमुनोत्री रा0राज मार्ग पर कल्याणी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	10.00	127.80	0.10
14	~~जनपद टिहरी गढ़वाल में सुवाखोली~~ अलमस-भवान-नगुण मोटर मार्ग का सुवखोली से आलमस तक डेढ़ लेन में परिवर्तन कार्य (कि0मी0 1.00 से 14.00)।	14.00	65.24 (उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-08 के अनुसार)	0.10
15	~~जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में~~ सुवाखोली-अलमस-भवान-नगुण मोटर मार्ग का डेढ़ लेन में परिवर्तन एवं 12 मी0 आर0सी0सी0 पुल का निर्माण। (कि0मी0 15 से 28)	14.00 + 01	66.20 (0.96 + 65.24 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-08 के अनुसार)	0.10
16	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र- पिथौरागढ़ में दिगरा से तड़ीगांव मोटर मार्ग का निर्माण। (मा0 मु0मं0घोषणा सं0-98/2012)	7.00	88.20	0.10
	योगः-	81.975 + 04 brg	807.01	1.60

(कुल ₹ एक लाख साठ हजार मात्र)

महिमा

(महिमा)

अनुसचिव

Photocopy attested

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड,लो.नि.वि

[illegible]कोट, उत्तरकाशी